रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 1990/फाल्गुन 1, 1911
No. 92] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 1990/PHALGUNA 1, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1990

का. आ. 157(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (चाहे उन्हें उपराज्यपाल,
प्रशासक अथवा मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता हो), संघ राज्य क्षेत्रों में नागरिक अधिकार संरक्षण अधि-
नियम, 1955 (1955 का सं. 22) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण)
अधिनियम, 1989 (1989 का सं. 33) के अधीन राज्य सरकार की सभी शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का
निष्पादन भी करेंगे।

[सं.-यू.-11030/4/89-यू.टी.एल.]

अशोक नाथ, संयुक्त सचिव

487 GI/90

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 1990

S.O. 157 (E).—In pursuance of powers conferred under clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that Administrators of various Union territories (whether known as Lieutenant Governor, Administrator or Chief Commissioner), shall also exercise powers and discharge functions of State Government under the Protection of Civil Rights Act, 1955 (No. 22 of 1955) and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989), within their respective territories.

[No. U-11030|4|89-UTL]

ASHOK NATH, Jt. Secy.